

28/10/23

पत्रावली कादीगण व वकील कादीगण की ओर
से प्रार्थना पत्र मिलल तलबी व वादपत्र विद्वा
किया जाने का पेशा होने पर तलब होकर
पेशा हुई। कादी सं. 1, 3 स्वयं उपण कादी सं. 2
की ओर से जारिये अधिवक्ता उपण कादीगण व
वकील कादीगण ने वादपत्र आगे नही चलाने
का निवेदन किया। अतः पत्रावली व प्रार्थना पत्र
का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र
न्याय क्षेत्र में स्वीकार किया जाता है अतः वादपत्र
विद्वा की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है

Identified me

राजवीर सिंह

वि. कुंभार

पत्रावली किलल शुमा होकर गम्बर से समझोकर
दाखिल दफतर हो

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)